25 7/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर।
बहस वकील वादी सुनी गयी।
वकील वादी ने निवेदन किया
कि वाद वर्णित भूमियों में वादीया
का सही व वास्तविक नाम
शारदा देवी की जगह मुन्नी देवी
का अंकन किया जावे।
मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज
व तहसीलदार डोलाराकगढ की
रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा
विधिक प्रावधानों पर मनन किया।
तहसीलदार डोलाराकगढ की रिपोर्ट
से स्पष्ट है कि वादीया का
नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से
स्वीकृत हुआ। वादीया ने निकाई दुरुस्ती
का वाद अन्तर्गत धारा 136 LRAct
में पेश किया। भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 में यह प्रावधान
है कि राजस्व अभिलेख में रही टंकण।
लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किया जा
सकता है परन्तु वादी का नाम रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र से पेशीकृत हुआ है अतः
वादीया अपना नाम शुद्धि पत्र के

खारिज करवाने के लिए स्वतन्त्र है। अतः उक्त
वाद भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा
136 के प्रावधानों अनुसार नहीं होने
से वादीगण का वाद खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।